"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2017—पौष 23, शक 1938

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती प्रतिमा उइके धर्मपत्नि श्री चुरामन लाल उइके, उम्र 41 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-13/ए, सड़क/पाकेट-एम, सेक्टर-मरौदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम पांचो बाई पिता झुमुक लाल दर्ज है. मेरा विवाह श्री चुरामन लाल उइके के साथ हुआ है. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती प्रतिमा उइके रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती प्रतिमा उइके धर्मपत्नि श्री चुरामन लाल उइके के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

पांचो बाई
आत्मजा झुमुकलाल
निवासी-ग्राम खेरुद, तहसील गुण्डरदेही
जिला बालोद (छ. ग.)

**नया नाम**

श्रीमती प्रतिमा उइके
धर्मपत्नि श्री चुरामन लाल उइके
निवासी-क्वा. नं.-13/ए, सड़क/पाकेट-एम,
सेक्टर-मरौदा सेक्टर, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सिमरन कौर मट्टू पति श्री हरजीत पाल सिंह, उम्र 38 वर्ष, निवासी- E.W.S.-516, वार्ड नं.-11, वैशाली नगर सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम नज्जा परवीन आ. श्री मोहम्मद जिब्राईल दर्ज है. मेरा विवाह श्री हरजीत पाल सिंह के साथ हुआ है. विवाह पश्चात् मैं अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम सिमरन कौर मट्टू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे सिमरन कौर मट्टू पति श्री हरजीत पाल सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

नज्जा परवीन
आत्मजा-श्री मोहम्मद जिब्राईल
निवासी-केम्प 1, पटेल डेयरी के पास भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

श्रीमती सिमरन कौर मट्टू
धर्मपत्नि श्री हरजीत पाल सिंह
निवासी-EWS-516, वार्ड नं.-11,
वैशाली नगर सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गोपाल राम मढरिया (Gopal Ram Madhariya) आत्मज श्री विश्राम मढरिया (Vishram Madhariya) उम्र 49 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-3 डी, सड़क-9, सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के दस्तावेज एवं शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम गोपाल राम आत्मज विश्राम दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरा वास्तविक व सही नाम गोपाल राम मढरिया आत्मज विश्राम मढरिया है जो मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है. मैं अपने नाम के आगे उपनाम "मढरिया" जोड़कर नया नाम/उपनाम गोपाल राम मढरिया रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे गोपाल राम मढरिया आत्मज श्री विश्राम मढरिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

गोपाल राम (Gopal Ram)
पिता विश्राम (Vishram)
निवासी-क्वा. नं.-3 डी, सड़क-9, सेक्टर-5, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

गोपाल राम मढरिया
(Gopal Ram Madhariya)
पिता विश्राम मढरिया (Vishram Madhariya)
निवासी-क्वा. नं.-3 डी, सड़क-9, सेक्टर-5, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेन्द्र प्रसाद वर्मा (Rajendra Prasad Verma) पिता श्री यू. सी. वर्मा, उम्र 53 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-5/ए, सड़क-5, सेक्टर-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं.यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम राजेन्द्र प्रसाद दर्ज किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरा वास्तविक व सही नाम राजेन्द्र प्रसाद वर्मा है जो कि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पास बुक, पेनकार्ड में दर्ज है. मैं अपने नाम के आगे उपनाम "वर्मा" जोड़कर मैं अपना नया नाम/उपनाम राजेन्द्र प्रसाद वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत दिया हूं.

अत: अब मुझे राजेन्द्र प्रसाद वर्मा पिता श्री यू. सी. वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

राजेन्द्र प्रसाद (Rajendra Prasad )
पिता श्री यू. सी. वर्मा
निवासी-क्वा. नं.-5/ए, सड़क-5, सेक्टर-2, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

राजेन्द्र प्रसाद वर्मा (Rajendra Prasad Verma )
पिता श्री यू. सी. वर्मा
निवासी-क्वा. नं.-5/ए, सड़क-5, सेक्टर-2, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रघुनाथ ध्रुव पिता स्व. नाहरू राम ध्रुव, उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड, निवासी-ब्लाक नं. 230 ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के विभाग के दस्तावेजों में मेरी पत्नि का नाम श्रीमति शिव तुमरेकी लिख दिया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरी पत्नि का सही नाम शिवकुमारी है जो उनके आधार कार्ड एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. मै अपनी पत्नि का नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति शिवकुमारी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पत्नि को श्रीमति शिवकुमारी पति श्री रघुनाथ ध्रुव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

शिव तुमरेकी
पति श्री रघुनाथ ध्रुव
निवासी-ब्लाक नं. 230/ ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

शिवकुमारी
पति श्री रघुनाथ ध्रुव
निवासी-ब्लाक नं. 230/ ए, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नीतू दास पति श्री ओजस दास, उम्र 39 वर्ष, निवासी-25 राजा सर्वेश्वरदास मार्ग, जय स्तंभ चौक, कलार पारा राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम नीतू शर्मा पिता स्व. श्री बागेश्वर शर्मा, निवासी लोधी पारा चौक, तरूण नगर पण्डरी रायपुर था. मेरा पुनर्विवाह दिनांक 11-12-2008 को श्री ओजस दास पिता स्व. श्री पीलाराम साहू के साथ सम्पन्न हुआ. पुनर्विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती नीतू दास रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती नीतू दास पति श्री ओजस दास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

नीतू शर्मा
पिता स्व. श्री बागेश्वर शर्मा
निवासी-लोधीपारा चौक, तरूण नगर पण्डरी
जिला रायपुर (छ. ग.)

**नया नाम**

श्रीमती नीतू दास
पति श्री ओजस दास
निवासी-25 राजा सर्वेश्वर दास मार्ग,
जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव
जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, द्रीजा दीप (Drija Deep) पिता स्व. रूपा दीप (Rupa Deep) उम्र 69 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 29/ए, सड़क- एवेन्यू-ए, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश Trijya Dip दर्ज है एवं मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम द्रीजा दीप (Drija Deep) दर्ज है तथा मेरे पुत्र विभीषण दीप (Vibhishan Deep) वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है उसके विभागीय दस्तावेजों में पिता के नाम के स्थान पर त्रुटिवश द्रीना दीप (Drina Deep) दर्ज किया गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम द्रीजा दीप रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे द्रीजा दीप पिता स्व. रूपा दीप के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

त्रिज्या दीप (Trijya Dip)
द्रीना दीप (Drina Deep)
पिता स्व. रूपा दीप
निवासी- क्वा. नं. 29/ए, सड़क नं. - एवेन्यू-ए, सेक्टर-7,
भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

द्रीजा दीप (Drija Deep)
पिता स्व. रूपा दीप
निवासी- क्वा. नं. 29/ए, सड़क नं. - एवेन्यू-ए, सेक्टर-7,
भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तोटा सन्यास नायडू (Thota Sanyas Naidu) आत्मज तोटा हनुमंत राव (Thota Hanumanth Rao) उम्र 56 वर्ष, निवासी-एल. आई. जी.-85, जनता कालोनी, गुढ़ियारी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के दस्तावेज एवं शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम टी. सन्यास नायडू (T. Sanyas Naidu) पिता टी. हनुमंत राव (T. Hanumant Rao) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम तोटा सन्यास नायडू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे तोटा सन्यास नायडू आत्मज तोटा हनुमंत राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| टी. सन्यास नायडू (T. Sanyas Naidu)<br>पिता टी. हनुमंत राव (T. Hanumant Rao)<br>निवासी-एल. आई. जी.-85, जनता कालोनी,<br>गुढ़ियारी रायपुर<br>तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) | तोटा सन्यास नायडू (Thota Sanyas Naidu)<br>पिता तोटा हनुमंत राव (Thota Hanumanth Rao)<br>निवासी-एल. आई. जी.-85, जनता कालोनी,<br>गुढ़ियारी रायपुर<br>तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) |

---

# विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2016

प्र. क्र./ब-113 (1)/वर्ष 2016-17

क्रमांक/Q/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2016.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री ओमप्रकाश सिंघानिया पिता सत्यनारायण सिंघानिया निवासी समता कालोनी रायपुर ने "छत्तीसगढ़ विपश्यना ट्रस्ट" मित्तल काम्पलेक्स गंजपारा रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता | : | "छत्तीसगढ़ विपश्यना ट्रस्ट"<br>मित्तल काम्पलेक्स गंजपारा रायपुर तहसील व<br>जिला रायपुर (छ. ग.) |
| (2) | चल संपत्ति | : | 5,000/- रु. (पांच हजार रुपये मात्र) नगद |
| (3) | अचल संपत्ति | : | निरंक |

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से दिनांक 28-1-2017 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 28-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुदा से जारी किया गया.

**बी. एल. गजपाल,**
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

---

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास, रायगढ़, (छ. ग.)

रायगढ़ , दिनांक 07 दिसम्बर 2016

रा. प्र. क्र./ब-113 (4)/2016-17

क्रमांक/क/अ. वि. अ./2016.— सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदकगण राकेश अग्रवाल आ. स्व. देवी प्रसाद अग्रवाल, उम्र 51 वर्ष, श्री सुशील मित्तल आ. स्व. शिवनारायण मित्तल, श्री सुरेश अग्रवाल आ. स्व. संतलाल अग्रवाल, श्री मदनलाल सिंघानिया आ. स्व. घनसीराम सिंघानिया, श्री राधेश्याम अग्रवाल आ. स्व. खुशीराम अग्रवाल, श्री नंदकिशोर अग्रवाल आ. स्व. जग्गनाथ अग्रवाल, श्री नरसिंग लाल केडिया आ. स्व. विशंभर लाल केडिया, श्री प्रहलाद राय अग्रवाल आ. स्व. डालूराम अग्रवाल, श्री राजकुमार अग्रवाल आ. स्व. रामस्वरूपदास अग्रवाल, श्री विनोद कुमार बसंल आ. स्व. गंगाधर बंसल, श्री बजरंग लाल अग्रवाल आ. स्व. किरोड़ीमल अग्रवाल, श्री कमल जिंदल आ. स्व. नानकचंद जिंदल, श्री राजकुमार अग्रवाल आ. स्व. छल्लूराम अग्रवाल, श्री सुनील अग्रवाल आ. रामदास अग्रवाल, श्री आनंद बंसल आ. स्व. बजरंग लाल बंसल, श्री नानक बंसल आ. सागरमल बंसल, श्री घनश्याम डालमिया आ. स्व. राजकुमार डालमिया, श्री निमिष गडोदिया आ. सावरमल गडोदिया सभी निवासी रायगढ़ द्वारा श्री "अग्रोहाधाम चैरिटेबल ट्रस्ट" का पंजीयन किये जाने हेतु आवेदक शपथ पत्र, ट्रस्ट डीड की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत किया गया है. ट्रस्ट डीड के अनुसार न्यास की अचल संपत्ति ग्राम भगवानपुर स्थित ख. नं. 122/8 रकबा 0.267 हे., 122/7 रकबा 0.348 हे., 120/2 रकबा 0.134 हे., 120/4, 122/4 रकबा 0.104 हे., 122/2 रकबा 0.099 हे., 120/3, 122/1 रकबा 0.103 हे., 122/3 रकबा 0.099 हे., 119/2 रकबा 0.089 हे., 119/1 रकबा 0.089 हे., 118/11 रकबा 0.023 कुल रकबा 1.364 हे. रिक्त भूमि/संपत्ति के रूप में 70,000,00/- (सत्तर लाख रु.) है.

उक्त ट्रस्ट में निम्नानुसार पदाधिकारीगण है :-

1. श्री राकेश अग्रवाल, अध्यक्ष
2. श्री सुशील मित्तल, सचिव
3. श्री सुरेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष
4. श्री मदनलाल सिंघानिया, सदस्य
5. श्री राधेश्याम अग्रवाल, सदस्य
6. श्री नंदकिशोर अग्रवाल, सदस्य
7. श्री नरसिंग लाल केडिया, सदस्य
8. श्री प्रहलाद राय अग्रवाल, सदस्य
9. श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य
10. श्री विनोद कुमार बंसल, सदस्य
11. श्री बजरंग लाल अग्रवाल, सदस्य
12. श्री कमल जिंदल, सदस्य
13. श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य
14. श्री सुनील अग्रवाल, सदस्य
15. श्री आनंद बंसल, सदस्य
16. श्री नानक बंसल, सदस्य
17. श्री घनश्याम डालमिया, सदस्य
18. श्री निमिष गडोदिया, सदस्य

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा पक्षकार को किसी प्रकार की दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 09-01-2017 को प्रात: 11.00 प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 07-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

रायगढ़ , दिनांक 07 दिसम्बर 2016

रा. प्र. क्र./ब–113 (4)/वर्ष 2016–17

क्रमांक/Q/अ. वि. अ./2016.— सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदकगण श्री सत्यनारायण बाबा जी, श्री इन्द्रपाल सिंह भाटिया आ. स्व. हरबंश सिंह भाटिया, निवासी जगतपुर, रायगढ़ अध्यक्ष, मुकेश शर्मा आ. शंकर प्रसाद शर्मा, निवासी बोईरदादर, रायगढ़, कोषाध्यक्ष, श्री रमेश बेहरा आ. श्री कृष्णचंद्र बेहरा, निवासी बंगलापारा, रायगढ़, सचिव, श्री नीरज सिंह चंदेल आ. श्री हनुमान सिंह चन्देल, निवासी हिमालय हाईट्स शैलेन्द्रनगर, रायगढ़, उपाध्यक्ष, श्री किशोर साहू आ. श्री नेहरूलाल साहू, निवासी सराईभदरा, रायगढ़ प्रबंधक द्वारा "सत्यनारायण बाबा धाम" का पंजीयन किये जाने हेतु आवेदक, शपथपत्र, ट्रस्ट डीड की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत किया गया है. ट्रस्ट डीड के अनुसार न्यास की अचल संपत्ति 6600 व. फु. मंदिर चौहद्दी सहित कोसमनारा में व 6000 व. फु . धर्मशाला मंदिर के पास तथा चल संपत्ति के रूप में 7,37,713/– (सात लाख सैंतीस हजार सात सौ तेरह रु.) है. आय के स्रोत दान द्वारा ट्रस्ट की सकल वार्षिक आय लगभग 20 लाख तथा वार्षिक व्यय लगभग 19 लाख होगी.

उक्त ट्रस्ट में निम्नानुसार पदाधिकारीगण है :-

1. श्री इन्द्रपाल सिंह भाटिया, अध्यक्ष
2. श्री रमेश बेहरा, सचिव
3. श्री मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष
4. श्री किशोर साहू, सदस्य
5. श्री नीरज सिंह चंदेल, प्रबंधक

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा पक्षकार को किसी प्रकार की दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 09–01–2017 को प्रातः 11.00 प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 07–12–2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

**प्रकाश कुमार सर्वे,**
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.